तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. अपील डिक्री/टी0ए0/3231/2006/करौली किस्तूरी बनाम कम्पुरी व अन्य 2. अपील डिक्री/टी0ए0/3232/20006/करौली किस्तूरी बनाम महीपाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.2023	**खण्डपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **श्री गणेश कुमार, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री जे0के0 पारिक, अभिभाषक अपीलांट। श्रीमती पूजा शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट। **निर्णय** उपरोक्त दोनों अपील डिक्री अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर दिनांक 28.03. 2006 प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त दोनों अपीलों में पक्षकार समान है व विवादित आराजी भी समान है तथा एक निर्णय दिनांक 28.03.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। इसलिए उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतिलिपि उपरोक्त दोनों अपीलों में पृथक से लगायी जावे। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मंगल की ओर से परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करते हुये विवादित आराजी बाबत निवेदन किया कि विवादित आराजी पर वादी के बाबा नत्थु बहैसियत खातेदार काबिज थे। वादी के पिता का स्वर्गवास हमारे बाबा के समय में ही हो गया और हम अपने बाबा के समय से ही काबिज काश्त है। वादी की मां मु0 ग्यारसी भौर्या के मरने के बाद रणजीता के यहां नाते चली गई। विवादित आराजी को गलत प्रकार से 1/2 हिस्सा वादी के नाम एवं 1/2 हिस्सा रणजीता के नाम दर्ज कर दिया गया । इसके बाद देवफूल के नाम दर्ज कर दिया गया । जबकि देवफूल ग्यारसी या भौर्या का लड़का नहीं था। विवादित आराजी पर हमारे बाबा के समय से हमारा कब्जा ही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. अपील डिक्री/टी0ए0/3231/2006/करौली किस्तूरी बनाम कम्पुरी व अन्य 2. अपील डिक्री/टी0ए0/3232/20006/करौली किस्तूरी बनाम महीपाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चला आ रहा है। अतः दावा डिक्री कर हमें खातेदार घोषित किया और प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें। दुसरा दावा तकास्मा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी का मंगल वगैरह के विरूद्ध पेश किया कि आराजी में उनका 1/2 1/2 हिस्सा है। अतः आराजी का तकास्मा किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। परीक्षण न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर 13 तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय दिनांक 21.04.2005 से मंगल का दावा डिक्री कर उसे खातेदार घोषित कर दिया एवं देवफूल का दावा खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष दो अपीलें क्रमशः 50/2005 व 53/2005 पेश की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.03.2006 से दोनों अपीलों को खारिज करते हुये परीक्षण न्यायालय का आदेश यथावत् रख दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह दोनों अपीलें पेश की गई है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/2, 1/2 है एवं रेस्पो0 का इसमें 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी अनुसार आराजी मुतनाजा पर अपीलांट काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। 1/2 हिस्सा जो अपीलांट के कब्जे काश्त का है। उस पर अपीलांट के पिता का कब्जा चला आ रहा था। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट ने अपने पक्ष में जमाबंदी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. अपील डिक्री/टी0ए0/3231/2006/करौली किस्तूरी बनाम कम्पुरी व अन्य 2. अपील डिक्री/टी0ए0/3232/20006/करौली किस्तूरी बनाम महीपाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भू–प्रबंध विभाग ऐवजी ए0 5 पेश की है जिसमें रणजीता के नाम का अंकन है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2016–19 में रणजीत वगैरह का नाम का अंकन है। खसरा गिरदावरी संवत 2033–2034 अपीलांट के नाम से है और उसमें अपीलांट के 1/2 हिस्से का अंकन है। नकल जमाबंदी संवत 2046 ऐवजी ए 21 में देवफूल पिता रणजीता के नाम से अंकन है। नकल जमाबंदी संवत 2045–2048 में भी देवफूल पिता रणजीता के नाम से अंकन है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट के पिता एवं रणजीता एवं भौर्या दोनों भाई है। जिससे स्पष्ठ होता है कि विवादित आराजी में उनका 1/2, 1/2 हिस्सा चला आ रहा है और इसी आधार पर अपीलांट ने तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था। परंतु परीक्षण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यथावत रखने में विधिक त्रुटि की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात का निर्माण नहीं किया और ना ही तनकीयों का निर्णय कानूनी प्रावधानों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर किया। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि मृ0 ग्यारसी भौर्या की पत्नी थी और भौर्या के फौत होने के बाद वादग्रस्त आराजी में उसे खातेदारी हक वादी मंगल के स्थान पर मिलने चाहिये थे। परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 10 एवं 11 का पूर्ण विवेचन नहीं कर निर्णय पारित किया है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2021 आर0बी0जे0 पेज 187, 1993 आर0आर0डी0 पेज 46, 2017 आर0बी0जे0 पेज 638, 2017 डी0एन0जे0 (एस0सी0) पेज 871, 1989 आर0आर0डी0 पेज 774, 2021 आर0बी0जे0 पेज 12 आदि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये हस्तगत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. अपील डिक्री/टी0ए0/3231/2006/करौली किस्तूरी बनाम कम्पुरी व अन्य 2. अपील डिक्री/टी0ए0/3232/20006/करौली किस्तूरी बनाम महीपाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी हमारे बाबा नत्थु की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी और नत्थु का पुत्र हमारे पिता भौर्या थे और भौर्या हमारे बाबा के जीवनकाल में ही फौत हो गये थे। हमारी माता मु0 ग्यारसी रणजीता के यहां नाते चली गई थी। इस प्रकार मु0 ग्यारसी का विवादित आराजी में कोई हक अधिकार नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि राजस्व रिकॉर्ड में गलत प्रकार से 1/2 हिस्सा रणजीता के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि रणजीता को विवादित आराजी मु0 ग्यारसी से प्राप्त हुई थी। जबकि ग्यारसी का दुसरी जगह नाते जाने के बाद विवादित आराजी में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं था। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी को रेस्पो0 शुरू से ही कब्जा काश्त करते आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में जो गलत अंकन किया गया है वो दौराने भू–प्रबंध किया गया था। भू–प्रबंध विभाग को अपने स्तर पर किसी के भी पक्ष में अंकन करने का या किसी के अंकन को कलमजन करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक कि सक्षम न्यायालय से इस प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं होता हो। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में पूर्ण परीक्षण करने के बाद 13 विवाद्यक कायम किये और प्रत्येक विवाद्यक का दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर पूर्ण परीक्षण एवं विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया है। जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय से यथावत रखा है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने हस्तगत अपील को खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्ठांतों का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रकरण के समस्त तथ्यात्मक विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय ने उनके यहां विचाराधीन वाद में कुल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. अपील डिक्री/टी0ए0/3231/2006/करौली किस्तूरी बनाम कम्पुरी व अन्य 2. अपील डिक्री/टी0ए0/3232/20006/करौली किस्तूरी बनाम महीपाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	13 विवाद्यकों को निर्माण कर प्रत्येक विवाद्यक का दावे में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पूर्ण परीक्षण एवं विवेचन किया। सभी 13 विवाद्यकों का परीक्षण एवं विवेचन करते हुये विवाद्यक अनुसार निर्णय पारित किया है। अपीलीय न्यायालय के द्वारा भी प्रकरण का पूर्ण परीक्षण एवं विवेचन करते हुये परीक्षण न्यायालय के निर्णय के समवर्ती निर्णय पारित करते हुये अंतिम पैरा में अंकित किया है कि :– '' वादी मंगल को आराजी अपने बाब नत्थू से बतौर उत्तराधिकारी प्राप्त हुई है और मंगल के पिता भौर्या के फौत हो जाने पर उसकी बेवा मु0 ग्यारसी रणजीता के नाते बैठ गई, इस प्रकार से आराजी मुतनाजा में ग्यारसी का कोई अधिकार नहीं रहा और आराजी सालिम रूप से मंगल के स्वामित्व में आ गई। प्रति0 के पक्ष में जो अंकन किये गये है वे गलत प्रकार से किये गये है और इस प्रकार के गलत अंकनों के आधार पर प्रति0 अपने पक्ष में विभाजन की डिक्री पारित कराने का विधिक उत्तराधिकारी नहीं है क्योंकि यह अंकन प्रारंभ से अवैध व शुन्य रहे है। अतः तहत न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वो विधिसम्मत है, जिसमें हम किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से अपील अपीलाण्टान खारिज किये जाने योग्य रही है। '' इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर समवर्ती निष्कर्ष एवं समवर्ती निर्णय पारित किये गये है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाने के कारण हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपीलांट पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस अपील प्रकरण कें तथ्यों एवं परिस्थितियों से पूर्णतः भिन्न होने के कारण इस अपील में चस्पा योग्य नहीं पाये जाते है। अपीलांट/वादी पक्ष वादग्रस्त भूमियों में विधिक आधार पर अपना हक अधिकार सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. अपील डिक्री/टी0ए0/3231/2006/करौली किस्तूरी बनाम कम्पुरी व अन्य 2. अपील डिक्री/टी0ए0/3232/20006/करौली किस्तूरी बनाम महीपाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खारिज की जाती है। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2006 एवं परीक्षण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सपोटरा (करौली) का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.04.2005 यथावत रखे जाते है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** **सदस्य** **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	